यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), खण्ड-I राज्य कर, पिथौरागढ** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), खण्ड-I राज्य कर, पिथौरागढ के माह 04/2016 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आशीष सिंह तडियाल, ले.प. श्री एस.एस दरियाल एवं श्री बृज भूषण मणि त्रिपाठी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 11.03.2019 से 19.03.2019 तक श्री पी.के. गुप्ता, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री हर्षित जयसवाल, ले.प. श्री दीपक मालवीय एवं श्री अजय कुमार मिश्रा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 03.06.2016 से 13.06.2016 तक श्री ए.एन.साहू, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व एवं व्यय हेतु माह 04/2012 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व एवं व्यय हेतु माह 04/2016 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः विकास खण्ड- मूनाकोट, बिण का क्षेत्र**

(ii) (अ) **राजस्व विवरण**:

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2015-16	2038.47
2016-17	1739.23
2017-18	767.36

(II) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षो में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष (` लाख में)**		**स्थपना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य/ समर्पण**	**बचत**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2015-16	-	-	-	-	8116000	7654036	461964	-
2016-17	-	-	-	-	13549171	10257147	3292024	-
2017-18	-	-	-	-	13143000	12768194	374806	-

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii) **इकाई को बजट आवंटन** इकाई द्वारा आहरण वितरण का कार्य नहीं किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई .....A.. श्रेणी की है।

(iv) **विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः**

सचिव- आयुक्त कर- एडिशनल कमिश्नर- ज्वाइन्ट कमिश्नर- उप आयुक्त- सहायक आयुक्त- वाणिज्य कर अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), खण्ड-I राज्य कर, पिथौरागढ** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), खण्ड-I राज्य कर, पिथौरागढ** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

राजस्व: - **03/2017 एवं 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।**

व्यय: - **01/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।**

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 (क)

प्रस्तर:- मिथ्या आई.टी.सी लिए जाने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 21.14 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के प्रावधानों के अनुसार इनपुट टैक्स का लाभ उत्तराखंड राज्य के किसी पंजीकृत ब्यौहारी जो धारा 15 या धारा 16 के अधीन विधिमान्य पंजीयन प्रमाण पत्र रखता है, से क्रय किया गया हो | उक्त अधिनियम की धारा 58 की उपधारा 1(XI) के अनुसार इनपुट टैक्स के लाभ के रूप में किसी धनराशि का गलत दावा करता है या किसी मिथ्या बिक्री बीजक के आधार पर इनपुट टैक्स के लाभ का दावा करता है तो पाँच हजार रूपये या दावाकृत धनराशि की तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो अर्थदण्ड का दायी होगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) खण्ड-**1** राज्य कर पिथौरागढ़ के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री रिफा मोबाइल, मोबाइल मार्केट टिन - 05013256336 मोबाइल गुड्स की खरीद- बिक्री के लिए पंजीकृत है। व्यापारी द्वारा संगत वर्ष 2014-15 में की गयी खरीद ₹ 14566849/- पर ₹ 728619/- का आई टी सी का लाभ लिया गया था। जिसमें से सर्वश्री कार्की एजेंसी, कुश एंटरप्राइजेज़ टिन रहित ₹282705/- की खरीद पर ₹ 14135/- आई टी सी का लाभ लिया गया था। इसलिए उक्त खरीद पर आई टी सी का लाभ देय नहीं था। इस पर उपरोकतानुसार तीन गुना ₹42405/-(14135X3)अर्थदण्ड आरोपणीय था।

यह भी उल्लेखनीय है कि व्यापारी द्वारा ₹ 3260/- की 13.5% की दर की वस्तु क्रय की गयी थी, जिसकी बिक्री नहीं दिखाई गयी थी।

(2) व्यापारी सर्वश्री पिथौरागढ़ ट्रांसपोर्ट एंड गुड़स फारवडिग एजेसी पिथौरागढ़ टिन न०-05006991979 के द्वारा संगत वर्ष 2015-16 में प्रस्तुत खरीद सूची में दिनांक 03/04/2015 से 31/03/2016 तक की गयी खरीद को अपने ही टिन को प्रदर्शित करते हुए ₹ 614430.87/- इनपुट टैक्स का लाभ लिया गया था, जो अनुमन्य नहीं था। इसलिए उक्त प्रावधानों के अनुसार व्यापारी द्वारा लिया गया आईटीसी का लाभ ₹ 614430.87/- का तीन गुना ₹ 1843290/- अर्थदंड आरोपित किया जाना अपेक्षित था।

(3) व्यापारी सर्वश्री व्यापारी सर्वश्री बिष्ट मेडिकल एजेंसीज, टकाना रोड पिथौरागढ़। कर निर्धारण वर्ष - 2013-14 TIN NO-05003194817 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में की गई प्रांतीय खरीद के सापेक्ष ₹471522.00 का ITC का दावा किया था, जिसका लाभ विभाग द्वारा व्यापारी को दिया गया था। प्रांतीय खरीद सूची में अपने ही TIN NO. से किसी अन्य व्यापारी जिसका नाम L. R. MEDICOS दिखाया गया है से खरीद पर ₹54797.00 का ITC दावा किया था, एवं खरीद सूची में उल्लिखित ब्यापारी जिसका नाम MEGNET LABS से की गयी खरीद 21160/-का ITC का दावा किया था, जिसका लाभ विभाग द्वारा व्यापारी को दिया गया था। प्रांतीय खरीद सूची में अपने ही TIN NO. से

किसी अन्य व्यापारी जिसका नाम L.R.MEDICOS दिखाया गया है से खरीद पर ₹54797.00 का ITC दावा किया था, जो कि अनुमन्य नहीं है। खरीद सूची में उल्लिखित व्यापारी जिसका नाम MEGNET LABS PVT. LTD., TIN NO. 05006836197 उल्लिखित है, इस व्यापारी का न होकर अन्य ब्यापारी M/S गणपति इंटरप्राइसेज का है। इस प्रकार व्यापारी द्वारा ₹ 21160.00 का दावाकृत ITC अनुमन्य नहीं है।

अत: उल्लिखित नियमानुसार उक्त लिखित दोनों खरीद ₹75957.00 (21160+54797) पर ₹ 75957/-X3= ₹ 227871/- का अर्थदंड लगाया जाना अपेक्षित था,जो विभाग द्वारा आरोपित नहीं किया गया था।

इस प्रकार उक्त तीन व्यापारियों पर ₹ 2113569/- (42405 +1843293+227871) अर्थदण्ड आरोपित किया जाना अपेक्षित था।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया गया है।

अत: उक्त मिथ्या आई.टी.सी लिए जाने पर अर्थदण्ड ₹ 21.14 लाख का अनारोपण का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ख)

प्रस्तर:-1 कम प्रदर्शित बिक्री पर कर का अनारोपण ₹ 2.40 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3 की उपधारा 1 के अनुसार किसी व्योहारी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किए गए प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत कर आरोपित किया जाएगा।
कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) खण्ड -**1** राज्य कर पिथौरागढ़ के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री टिप टाप मोबाइल गांधी चौक टिन-05009519314 मोबाइल एवं एसेसरीज़ की खरीद-बिक्री के लिए पंजीकृत है। व्यापारी द्वारा संगत वर्ष 2013-14 में ₹ 13631263 की खरीद व ₹ 13658979/- की बिक्री की गयी थी, जिसमें 13.5% दर की वस्तु ₹ 200229/- की खरीद व ₹ 147778/- की बिक्री की गयी थी। किन्तु शेष ₹ 59840/- (52451 का स्टाक + 5% लाभ 7389) कहीं भी अन्तिम रहतिया में नहीं दर्शाया गया था।
इसी प्रकार विगत वर्ष का प्रारम्भिक रहतिया और अन्तिम रहतिया को देखने पर ज्ञात हुआ कि इस वर्ष भी रहतिया कर की दर के अनुसार वर्गीकृत नहीं है। इस वर्ष में ₹10533359/- का माल ₹ 10374436/- में बिक्री की गयी थी। न्यूनतम 5% का लाभ मानकर ₹ 11060027/- की बिक्री किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार व्यापारी द्वारा ₹685591/-(11060027-10374436) की बिक्री कम प्रदर्शित की गयी थी।
इस प्रकार व्यापारी द्वारा कम प्रदर्शित बिक्री ₹ 59840/-(200229-147778+7389) पर 13.5% की दर से कर ₹ 16157/- एवं विगत वर्ष 2012-13 में ₹ 685591/- पर 5% की दर से कर ₹ 34280/- कर आरोपणीय था।

अत: व्यापारी द्वारा ₹ **50437/- (**16157+34280) एवं मार्च 2019 तक 15% वार्षिक की दर से ब्याज ₹ **46752/-** (13329 +33423) भी देय है।

(2)व्यापारी सर्वश्री जे0 जे0 इलेक्ट्रॉनिक्स नया बाजार टिन -05003233714
मोबाइल**,** इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की खरीद-बिक्री के लिए पंजीकृत है। व्यापारी द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2013-14 में समस्त खरीद-बिक्री प्रांतीय की गयी थी। व्यापारी द्वारा 5%की वस्तुओं की खरीद बिक्री के आंकड़ों के अनुसार बिक्री कम प्रदर्शित की गयी थी। एवं 13.5% दर की वस्तु क्रय की गयी बिक्री और अंतिम रहतिया में अप्रदर्शित थी। जो इस प्रकार है:-

वर्ष	2013-14
प्रारम्भिक शेष	4973935
प्रांतीय खरीद	3201490
बिक्री	3514564
अंतिम शेष	3325364
लाभ न्यूनतम 5%	175728
बिक्री में अंतर	1511225
13.5% अप्रदर्शित बिक्री	18361

इस प्रकार ₹ 1511225/- बिक्री कम दर्शाने के कारण प्रांतीय बिक्री मानकर न्यूनतम 5% की दर से ₹ 75561/- एवं ₹ 18361/- पर 13.5% की दर से ₹ 2479/- कर आरोपणीय था, जो विभाग की उदासीनता के कारण आरोपित नहीं किया जा सका। इस धनराशि पर मार्च 2019 तक 15% वार्षिक की दर ₹ 64383/- ब्याज भी देय है।

इस प्रकार व्यापारी द्वारा ₹ **142423/-** (78040 +64383) जमा किया जाना अपेक्षित था।

अत: उक्त दोनों व्यापारियों द्वारा ₹ 239612/-(50437+46752+142423) जमा किया जाना अपेक्षित है।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया गया है।

अत: उक्त कम प्रदर्शित बिक्री पर कर का अनारोपण ₹ 2.40 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग2 (ख)

प्रस्तरः2TDS की धनराशि विलम्ब से जमा किये जाने के बावजूद भी अर्थदण्ड आरोपित न किया जाना ₹1.38 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 35(4) के अनुसार जिस माह में TDS की धनराशि की कटौती की जाये उसके अगले माह के अन्त तक शासकीय कोष में जमा करना चाहिये।

पुनः धारा 35(8) के अनुसार यदि TDS की धनराशि विलम्ब से जमा की जानी है तो TDS का दोगुना तक अर्थदण्ड आरोपणीय है।

कार्यालय के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया कि अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पिथोरागढ़ द्वारा व्यापारी निर्मल कुमार से TDS की कटौती ₹ 29316 दिनाक17-01-15 एवं ₹ 39688/- दिनांक 09-01-15 को की गयी लेकिन दिनांक 18-03-15 एवं दिनांक 17-03-15 को राजकोष में विलम्ब से जमा किया गया |

अतः उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 35(8) के अनुसारT DS की धनराशि` 69004/-(29316+39688)का दोगुना`138008/- अर्थदण्डआरोपणीय था, जिसे आरोपित नहीं किया गया।

उक्त के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि जांचोपरांत कार्यवाही की जाएगी |

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

भाग 2 (ख)

प्रस्तर:- संभावित राजस्व क्षति।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3 की उपधारा 1 के अनुसार किसी व्योहारी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किए गए प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत कर आरोपित किया जाएगा।
उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप धारा 2 (ख) के अनुसार किसी व्योहारी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किए गए विक्रीत वस्तु पर इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत निर्धारित दर से कर आरोपित किया जाएगा।
कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) खण्ड-**1** राज्य कर पिथौरागढ़ के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री दीपक इंटरप्राइजेज़,सिमलगेर टिन - 05015147933 द्वारा संगत वर्ष 2014-15 में प्रारम्भिक रहतिया शून्य, खरीद ₹7169416/- बिक्री ₹5786923/- एवं अंतिम रहतिया ₹1406977/- दिखाया गया था। व्यापारी द्वारा वैट ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी थी। व्यापारी द्वारा 5786923/- की बिक्री पर मात्र ₹24484/- का लाभ दर्शाया गया था, एवं 5% की वस्तु की खरीद ₹67044/- को अंतिम रहतिया में ₹72630/- दिखाया गया था, जो कि त्रुटिपूर्ण है।
2- कार्यालय अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया कि अधिकांश व्यापारियों की पत्रावली की जांच में पाया गया कि व्यापारियों द्वारा अपने ट्रेडिंग एकाउंट में प्रारम्भिक रहतिया और अन्तिम रहतिया कर मुक्त एवं कर की दर 5%, 13.5% के अनुसार वर्गीकृत नहीं किया गया था। जिस आधार पर कर की गणना सही से किया जाना संभव नहीं है। इससे राजस्व की क्षति से इंकार नहीं किया जा सकता। कुछ व्यापारियों का विवरण इस प्रकार है:-

वर्ष	व्यापारी का नाम	टिन	प्रा0 रहतिया	अन्तिम रहतिया
2013-14	सर्वश्री राज इलेक्ट्रॉनिक्स	05010303559	230225	वर्गीकृत
2013-14	सर्वश्री कार्की एजेंसी	05009606808	1796500	वर्गीकृत
2013-14	सर्वश्री अजय हार्डवेयर	05007927835	910364	3051822
2013-14	सर्वश्री टिप टाप	05009519314	359725	913675
15-2014	सर्वश्री रिफा मोबाइल मार्केट	05013256336		

अत: उक्त प्रकार के प्रकरणों को खोलकर पुन: कर निर्धारण करने की आवश्यकता है। विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया गया है।

अत: उक्त राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

STAN1 –स्वीकृत कर विलम्ब से जमा करने पर अर्थदंड का अनारोपण ₹8515/-

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 58 (1)(Vii) के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर युक्तियुक्त कारण के बिना अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया जाता है तो देयकर का कम से कम 10 प्रतिशत अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

कार्यालय के अभिलेखों की लेखा परीक्षा में पाया गया की व्यापारी सर्व श्री मित्तल ग्रेन स्टोर द्वारा स्वीकृत कर ₹85148/- विलम्ब से जमा किया गया है जिसपर नियमानुसार 10 % ₹8515/- का अर्थदंड लगाया जाना चाहिए था जो नहीं लगाया गया|

उक्त के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि जांचोपरांत कार्यवाही की जाएगी |

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है|

विलम्बसेजमाकरकाविवरण

क्रम सं.	व्यापारी का नाम	धनराशि(**₹**)	निर्धारित तिथि	जमा करने की तिथि	विलम्ब शुल्क अर्थदण्ड (**₹**)
1.	सर्वश्री मित्तल ग्रेन स्टोर टिन-0503268343 वर्ष -2014-15	29727(अप्रैल) 23831(जुलाई)) 31590(अगस्त))	20-05-14 20-08-14 20-09-14	26-05-14 25-08-14 08-10-14	2973 2383 3159
योग					₹ 8515 /-

भाग 2 (ख)

प्रस्तर:-4 आई.टी.सी का अनुचित लाभ दिया जाना ₹1.84 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार इनपुट टैक्स का लाभ जिसके लिये पंजीकृत कोई व्यौहारी हकदार होगा, कर की वह धनराशि होगी जो कर अवधि के दौरान,ऐसे प्रयोजन हेतु और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जैसी कि इस धारा में विर्निदिष्ट है, किए गये क्रय के क्रयधन पर पंजीकृत ब्योहारी द्वारा विक्रेता व्यौहारी को भुगतान किया गया है, और जिसकी गणना ऐसी रीति से की जायेगी जैसी कि विहित की जाए।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) खण्ड -1 राज्य कर पिथौरागढ़ के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया कि सर्वश्री महादेव ऑटो मोबाइल्स टिन-05005698484 मोटर साइकिल व पार्ट्स की खरीद-बिक्री के लिए पंजीकृत है। व्यापारी द्वारा संगत वर्ष 2014-15 में ₹ 10135754/- की खरीद पर ₹ 1360300/- का आई.टी.सी का लाभ लिया गया था,एवं बिक्री ₹ 9962900/-पर ₹ 1345004/- कर अदा किया गया था।

पत्रावली की जांच में पाया गया कि व्यापारी द्वारा विगत वर्ष 2013-14 में समाधान योजना का विकल्प लिया गया था। व्यापारी द्वारा विगत वर्ष में की गयी खरीद पर कोई आई.टी.सी नहीं लिया गया एवं बिक्री पर 1% की दर से कर अदा किया गया था। विगत वर्ष 2013-14 के अन्तिम 6 माह में की गयी खरीद पर ₹ 110025/- आई.टी.सी का लाभ लिया गया था, उपरोक्त धारा के अंतर्गत कर अवधि में की गयी खरीद पर ही आईटीसी अनुमन्य होगी।

अत: व्यापारी द्वारा ₹ 110025/- जमा किया जाना अपेक्षित है इस धनराशि पर मार्च 2019 तक 15% वार्षिक की दर से ₹ 74267/- ब्याज भी देय है। इस प्रकार व्यापारी द्वारा ₹ 184292/- (110025+74267) जमा कराया जाना अपेक्षित था। जो विभाग द्वारा जमा नहीं कराया गया । लेखा परीक्षा को वर्ष 2015-16 के कर निर्धारण आदेश की प्रति प्रतीक्षित रहेगी।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया गया है।

अत: उक्त अनुचित आई.टी.सी ₹ 1.84 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या	सम्पूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
CT/26/2008-09	01,02	01,02,03,04	
CT/27/2009-10	-	01,02	
CT/51/2012-13	01	01,02,03	

NOTE:- प्रस्तावित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या साक्ष्य सहित उच्चाधिकारियों के माध्यम से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराये जिससे पूर्ण निस्तारण किया जा सकें।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), खण्ड-I राज्य कर, पिथौरागढ** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री एस.एस.यादव	सहायक आयुक्त 1.4.16 से 30.8.16
2	श्री दीपक कुमार	सहायक आयुक्त 30.8.16 से 18.1.17
3	श्री कमल किशोर जोशी	सहायक आयुक्त 18.1.17 से 17.1.18
4	श्री दीपक कुमार	सहायक आयुक्त 17.1.18 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), खण्ड-I राज्य कर, पिथौरागढ** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र